

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ जेट/38 सि. से. फिलार्ड, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर 2013 — भाद्र 11, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-23/2012/आ. प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

अध्याय—एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:—(1) ये नियम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 कहलाएंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (कमांक 13 सन् 2013);
- (ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है, विहित रीति में प्रमाणपत्र, सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा विनिश्चित अनुसार सत्यापित किया जाना हो, या ऐसा व्यक्ति जिसके नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, केन्द्र शासन या राज्य शासन, के द्वारा उसका प्रमाणपत्र जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को सत्यापन के लिए संदर्भित किया गया हो;
- (ग) "आवेदन" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन आवेदन;
- (घ) "प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ण) में यथापरिभाषित तथा धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;
- (ङ) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि" से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 1950 तथा अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 1950;
- (च) "अन्य राज्यों से प्रवासी" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसने राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात्, यथास्थिति, अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो अथवा जिसका जन्म राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात्, यथास्थिति, हुआ हो; परंतु उसके पिता अथवा वैध पालक के द्वारा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि के पश्चात्, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो;
- (छ) "अनावेदक" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, वह नियोक्ता अथवा शैक्षणिक संस्थान अथवा स्थानीय प्राधिकरण, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, जिसके द्वारा आवेदक का प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु सत्यापन समिति को निर्दिष्ट किया गया है;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि" से अभिप्रेत है, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984;
- (झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या समय-समय पर यथा संशोधित अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित सूची;
- (ञ) "विहित" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत विहित;
- (ट) "राष्ट्रपतीय अधिसूचना" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी तथा संसद द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित आदेश;

- (त) "अरथाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, नियम-10 के अधीन प्ररूप-4ख में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र;
- (उ) "नातेदार" से अभिप्रेत है, आवेदक के पितृपक्ष के रक्त संबंधी नातेदार;
- (द) "ग्राम सभा के संकल्प" से अभिप्रेत है, आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में उन ग्राम, जहां आवेदक निवास करता है, की ग्राम सभा के द्वारा जारी कोई घोषणा, निष्कर्ष, निर्णय अथवा संकल्प, जिससे आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति, निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो सके;
- (ण) "छानबीन समिति" से अभिप्रेत है प्रमाणपत्रों के छानबीन के लिए, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन गठित उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति;
- (त) "सत्यापन प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र को विधिमान्य करते हुए, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा जारी प्रमाणपत्र;
- (थ) "सत्यापन समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदक को जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, जिले में गठित जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति।
- (2) शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में परिभाषित हैं।

अध्याय-दो

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी किया जाना

3. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र- (1) आवेदक स्थायी आधार पर प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए, प्ररूप-1क में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) आवेदक स्वयं या 'लाक या चौड़स सेक्टर या सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (3) आवेदक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-
- (क) प्ररूप-2क में शपथपत्र मूल प्रति में;
- (ख) आवेदक का पिछली तीन पीढ़ियों से प्रारंभ, हल्का पटवारी द्वारा सम्यक् रूप से जारी वंशवृक्ष;
- (ग) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसके पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके पूर्व से, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे हैं;
- (घ) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 67 के अनुपालन में, राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ की अधिसूचना दिनांक 23/09/2000 के पैरा (1) एवं (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित अधिकारी/कर्मचारी या उनकी संतान के आवेदक होने की स्थिति में, ऐसे

है किंतु तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य में ही जन्म हुआ अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्राणित प्रतिलिपि, जिससे यह प्रमाणित हो कि-

- (एक) आवेदक के पूर्वज, यथास्थिति, राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, पर या उसके तत्पश्चात् से, वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे थे;
- (दो) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 67 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में उन्हें आवंटित किया गया हो;
- (ड) निम्नांकित में से कोई दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की स्वयं द्वारा अभिप्राणित प्रतिलिपि, जिसमें आवेदक के पिता अथवा पूर्वज की जाति उपदर्शित है अर्थात् :-
- (एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल);
- (दो) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी;
- (तीन) राज्य बंदोबस्त;
- (चार) अधिकार अभिलेख (1954);
- (पाँच) जनगणना (1931);
- (छः) वन विभाग की जमाबंदी;
- (सात) नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);
- (आठ) जन्म या मृत्यु पंजी;
- (नौ) यदि पिता अथवा पूर्वज शिक्षित थे, तो प्रवेश (दाखिल/खां रेज) पंजी;
- (दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र;
- (ग्यारह) जहाँ जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो, ग्राम समा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में परित संकल्प;
- (द्व) अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में, आवेदक के पिता का पूत वर्ष का आय प्रमाण पत्र;
- (छ) समुचित डाक टिकट सहित पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा।
- (4) आवेदक, सत्यापन के समय या जब कभी भी आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा छानबीन समिति, यथास्थिति, के समक्ष मूल प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

4. आवेदन का पंजीवन - सक्षम प्राधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पंजी में विहित प्ररूप 5क में आवेदन का पंजीवन करेगा।
5. आवेदन पत्र की प्रारंभिक जाँच, पावती एवं वापसी झापन - (1) आवेदन पत्र के पंजीवन के उपरान्त, सक्षम प्राधिकारी संक्षिप्त रूप से प्रारंभिक जाँच करेगा, और विनिश्चित करेगा कि आवेदनपत्र पूर्ण है अथवा नहीं, तथा उसका साथ नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन वर्णित दस्तावेज संलग्न है अथवा नहीं, यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि आवेदन पत्र के साथ वर्णित दस्तावेज संलग्न है तो वह

प्ररूप 3क में विहित पावती आवेदक को उपलब्ध करायेगा तथा यदि अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं है तो प्ररूप 3ख में वापसी ज्ञापन, आवेदनपत्र की प्राप्ति के 7 दिवस के अंदर, आवेदक को उपलब्ध करायेगा।

(2) यथास्थिति, पावती अथवा वापसी ज्ञापन, का प्रतिपुर्ण सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

6. असमर्थता ज्ञापन.—(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ऐसा आवेदक, जिसने प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, यदि नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज, समुचित प्रयास के उपरांत भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वह, वापसी ज्ञापन के पृष्ठ भाग में मुद्रित विहित प्ररूप 3ग में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में उसकी असमर्थता के बारे में शपथ पत्र दे सकेगा।

(2) असमर्थता ज्ञापन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन वांछित दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की नांग नहीं करेगा और नियम 8 के अनुसार आवेदक के दावे की जाँच करेगा।

परन्तु आवेदक, ऐसी जाँच के दौरान सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट जाँच अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा तथा संबंधित व्यक्तियों को उपस्थित कराने में सभी आवश्यक सहयोग करेगा ताकि सामाजिक प्रास्थिति के उसके दावे की पुष्टि हो सके।

7. जांचकर्ता अधिकारी.— सक्षम प्राधिकारी आवेदनपत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर, या तो स्वयं जाँच प्रारंभ करेगा अथवा किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को जाँच हेतु निर्देशित करेगा।

8. जाँच.— (1) जांचकर्ता अधिकारी, आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति, आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मूलदाता सूची में नाग एवं अन्य साक्ष्य जो कि राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अधिसूचना तिथि, यथास्थिति, पर स्थायी निवासी प्रमाणित करने हेतु तथा आवेदक के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रास्थिति को प्रमाणित करने हेतु सुसंगत हो, के संवद में जाँच करेगा।

(2) जांचकर्ता अधिकारी नियम 3 के उप-नियम (3) में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर पालिक निगम, के दस्तावेजों की भी जाँच कर सकेगा।

(3) जांचकर्ता अधिकारी ग्राम कोटवार, ग्राम सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, यहां के रहने वाले राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों जो उस जाति के पहले से प्रमाणपत्रधारी हैं तथा आवेदक को भली-भाँति जानते हैं, के मौखिक कथन भी साक्ष्य के रूप में अभिलिखित कर सकेगा।

(4) जांचकर्ता अधिकारी, जहाँ वह स्वयं सक्षम प्राधिकारी नहीं है, जाँच उपरांत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अभिलिखित किए गए मौखिक कथनों के साथ अपना लिखित प्रतिवेदन स्पष्ट निष्कर्ष के साथ जाँच आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

9. सामाजिक प्रस्थिति प्रमाणपत्र— सक्षम प्राधिकारी, नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियम 8 के अधीन जाँच कर और जहाँ वह स्वयं जाँचकर्ता अधिकारी नहीं है, जाँचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत, आवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर, अनुसूचित जाति के आवेदक को प्ररूप 4क(1) में अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्ररूप 4क(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को प्ररूप 4क(3) में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. अस्थायी प्रमाणपत्र— (1) कक्षा दसवीं तक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे स्तर पर छात्रवृत्ति अथवा शिष्यवृत्ति प्रदान करने हेतु अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों हेतु, जहाँ बड़ी संख्या में प्रमाणपत्र की अपरिहार्यता है एवं ऐसे प्रमाणपत्र यथा समय जारी किया जाना संभव नहीं है, तो, आवेदक के द्वारा प्ररूप 2क में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 4ख में, आवेदन की तिथि से पन्द्रह दिवस के अंदर, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी प्ररूप 5ख में जारी अस्थायी प्रमाणपत्र का विवरण संचारित करेगा।

(2) अस्थायी प्रमाणपत्र केवल छः माह की अवधि के लिए अथवा स्थाई प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होगा।

11. अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवासित आवेदक के लिए प्रमाणपत्र— ऐसे मामले में जहाँ आवेदक अन्य राज्यों से प्रवासी हो, सक्षम प्राधिकारी, उस राज्य में, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य के जिला मजिस्ट्रेट या सत्यापन समिति या सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से उसकी सामाजिक प्रस्थिति के संबंध में विस्तृत जाँच पड़ताल करने के उपरांत प्ररूप 4ग में प्रमाण पत्र जारी करेगा।

परन्तु ऐसे प्रमाणपत्र धारक उस राज्य, जिससे वह प्रवासित है, में यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिए मात्र होंगे।

12. अरवैच्छिक प्रवास— अधिभाजित मध्यप्रदेश के शासकीय सेवक तथा निगम, आयोग, मण्डल एवं सार्वजनिक उपक्रम के ऐसे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (कमांक 28 सन् 2000) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच कैंडर विभाजन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटित हुये हैं, ऐसे कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य, यदि वे छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, तो उनको मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में अरवैच्छिक प्रवास किया गया समझा जायेगा, तथा उन्हें इस प्रकार प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा और उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में आश्रयण का लाभ देय होगा।

13. प्रमाणपत्र, दस्तावेज पंजी— सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र का विवरण विहित प्ररूप 5ग में दर्ज किया जायेगा।

अध्याय—तीन

प्रमाणपत्र का सत्यापन

14. जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का गठन— (1) राज्य शासन, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, एक या अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाली, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का निम्नानुसार गठन करेगा :—

(क) कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर —अव्यय
कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर
किंवा अन्य अधिकारी डिप्टी कलेक्टर

(ख)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जनजाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	—सदस्य
(ग)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	—सदस्य
(घ)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य पिछड़ा वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी;	—सदस्य
(ङ)	संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकित एक विषय विशेषज्ञ अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी;	—सदस्य
(च)	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ।	—सदस्य सचिव

(2) सत्यापन समितियों के लिए विषय विशेषज्ञ अधिकारी के पद पर या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, समुचित अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) सत्यापन समितियों में नामांकित सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञ अधिकारी या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी के लिए, मानदेय राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(4) सत्यापन समितियों की बैठकें, आवश्यकतानुसार प्रत्येक सप्ताह नियत दिवस को आयोजित की जायेगी:

परंतु समिति की बैठक, अध्याक्ष के निर्देश पर मात्र एक दिवस की अल्प सूचना पर भी आहूत की जा सकेगी।

15. प्रमाणपत्र का सत्यापन एवं सत्यापन समिति को संदर्भिकरण— (1) यदि यथास्थिति, संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान या संवैधानिक निकाय, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को शिकायत प्राप्त होती है अथवा संदेह उद्भूत होता है कि नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामित अथवा नामांकित व्यक्ति ने त्रुटिपूर्ण रूप से या कथपूर्वक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है, तो वह प्ररूप 2ख में ऐसे व्यक्ति को शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, तथा प्ररूप 1ख में सत्यापन समिति को प्रकरण निर्दिष्ट करेगा।

(2) सत्यापन समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये कुल प्रमाण पत्रों के लगभग 10 प्रतिशत कमरहित नमूना पद्धति के माध्यम से नमूना जाँच के रूप में करेगी। आवेदक, सत्यापन समिति से ऐसी सूचना के संबंध में पूछे जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा कि उसके प्रमाणपत्र का चयन सत्यापन हेतु क्यों किया गया है।

(3) सत्यापन समिति, किसी भी आवेदक को, उसकी सामाजिक प्रारिथति के संबंध में प्ररूप 2ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1ग में आवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित कर सकेगा तथा नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज को जो उसकी सामाजिक प्रारिथति के सत्यापन हेतु आवश्यक हो, को प्रकट करेगा।

(4) कोई अनावेदक, किसी प्रमाण पत्र को सत्यापन समिति को संदर्भित करने के स्थान पर, आवेदक को भी निर्देशित कर सकेगा कि वह अपना प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित करावे। ऐसी स्थिति में आवेदक अपना मूल प्रमाणपत्र, प्ररूप 2 ग में शपथ पत्र के साथ प्ररूप 1 ग में आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(5) सत्यापन समिति से उप-नियम (3) के अधीन निर्देशित किए जाने अथवा अनावेदक से उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन समिति से उसे अपना प्रमाणपत्र सत्यापित कराने का निर्देश दिए जाने पर, आवेदक, शपथ पत्र के साथ उपरोक्त उल्लिखित आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप-नियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज एक माह की अनधिक अवधि के भीतर, प्रस्तुत करने हेतु आवद्ध होगा, ऐसा करने से दिफल रहने पर समिति एक पक्षीय निर्णय ले सकेगी तथा ऐसे आवेदक के प्रमाणपत्र को नियम 18 के अधीन छानबीन समिति को अग्रेषित कर सकेगी,

परन्तु जहां आवेदक, सत्यापन समिति को इस बात का समाधान करा देता है कि एक माह की विहित समयावधि के भीतर, समुचित कारणों से, आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है तो सत्यापन समिति, आवेदक के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समयावधि बढ़ा सकेगी।

16. सत्यापन समिति द्वारा आवेदन पत्र का पंजीयन.— (1) सत्यापन समिति, प्ररूप 5घ में विहित किए गए अनुसार पंजी में, आवेदक अथवा अनावेदक से सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन करेगी।

(2) सत्यापन समिति, आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर, प्ररूप 5घ में आवेदक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, को उसकी पावती प्रेषित करेगी।

17. सत्यापन समिति के द्वारा प्रमाणपत्र का सत्यापन.— (1) यदि सत्यापन समिति, आवेदन पत्र एवं उससे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट हो, तो एक माह से अनधिक की अवधि के भीतर, आवेदक, उसके पालक अथवा अनावेदक को, अनुसूचित जाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(1) में, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(2) में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने पर प्ररूप 4घ(3) में सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करेगी।

परन्तु यदि आवेदक, उसका पालक अथवा अनावेदक, यथास्थिति, के द्वारा डाक से प्रेषित किए जाने का निवेदन किया जाता है, तो समिति, उसे पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगी।

(2) सत्यापन समिति, प्ररूप 5ड, में सत्यापन प्रमाणपत्र का विवरण संघारित करेगा।

18. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट न होने पर, सत्यापन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.— (1) जहां सत्यापन समिति, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदनपत्र के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिवस के भीतर अथवा अनावेदक द्वारा संदर्भित होने के पन्द्रह दिवस के भीतर, आवेदक तथा अनावेदक, यदि कोई हो, को तत्संबंध में उक्त कारणों का उल्लेख करते हुए, जिससे वह संतुष्ट नहीं है, सूचित करेगी तथा चुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

परन्तु सत्यापन समिति, तीन माह की अनधिक अवधि में चुनवाई पूर्ण करेगी तथा जहां समिति की राय हो कि प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक अगिप्राप्त किया गया प्रतीत होता है तो नियम 20 के अधीन छानबीन समिति को मूल प्रमाणपत्र सहित सुसंगत दस्तावेज तथा अपने निष्कर्ष जांच के लिए अग्रेषित करेगी तथा आवेदक एवं अनावेदक, यदि कोई हो, को भी सूचित करेगा।

(2) सत्यापन समिति, छानबीन समिति को अग्रेषित प्रमाण पत्र का विवरण प्ररूप 5व में संघारित करेगी।

अध्याय-चार

प्रमाणपत्रों की जाँच, निरस्तीकरण एवं जप्ती

19. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा मामलों का पंजीकरण,— (1) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति उसे सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों को प्ररूप-5छ में पंजीकृत करेगी ।
20. सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रकरण की जाँच,— (1) छानबीन समिति सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रकरणों में संबंधित समस्त दस्तावेजों तथा प्रमाण पत्र को प्ररूप-6क में उप पुलिस अधीक्षक के अधीन गठित सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर अग्रेषित करेगी;
- (2) उप पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक के माध्यम से प्रकरण की जाँच करेगा तथा तदनुसार उसकी सूचना छानबीन समिति को देगा।
- (3) सतर्कता प्रकोष्ठ के पुलिस निरीक्षक—
- (क) आवेदक के स्थानीय निवास, मूल एवं सामान्य निवास स्थान या प्रवासित होने के पूर्व उसके मूल निवास स्थान के ऐसे नगर, या शहर या गांव की तलाश करेंगे;
- (ख) यथास्थिति, आवेदक या उसके माता-पिता या उसके पालक, के द्वारा दावा किये गये सामाजिक प्रार्थिति के संबंध में सत्यता की जांच लोक दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;
- (ग) आवेदक के द्वारा सत्यापन समिति को प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित जानकारी का सत्यापन सुसंगत लोक दस्तावेजों एवं विश्वसनीय प्रायवेद दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;
- (घ) ग्राम कोटवार, ग्राम सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों, स्थानीय राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों, जो पूर्व से प्रमाणपत्र धारी हैं तथा आवेदक को भली-भाँति जानते हैं, से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा यदि उनमें से कोई मौखिक कथन देने हेतु सहमत है, तो वह स्वयं उनके मौखिक कथन तदनुसार अंकित करेंगे अथवा महत्वपूर्ण गवाहों से शपथपत्र के रूप में उनके कथन देने का अनुरोध करेंगे तथा सहमत होने की स्थिति में तदनुसार उनके शपथपत्र प्राप्त कर उसकी प्रतिलिपि संबंधित गवाह को देंगे;
- (ङ) आवेदक को स्वयं तथा आवेदक के माता-पिता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देंगे तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट किये गये गवाहों के कथन स्वयं अंकित करेंगे अथवा उनका शपथपत्र प्राप्त करेंगे;
- (च) परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदक के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रयोजन से दस्तावेजों में कोई कूट रचना की गई है, तो दस्तावेज के संबंधित पृष्ठों की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय पुलिस की सहायता से दस्तावेज जप्त कर एवं उसकी पावती एवं छायाप्रति दस्तावेज संधारित करने वाले प्राधिकारी को देंगे तथा दस्तावेज सीलबंद कर सतर्कता प्रकोष्ठ के उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे;

(14) 553

- (3) जांच-पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत, समस्त जॉच दस्तावेजों के साथ अपना प्रतिवेदन उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
- (4) उप पुलिस अधीक्षक, छानबीन समिति की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत, जहां दस्तावेज फॉरेंसिक जांच तथा हस्त लिपि विशेषज्ञ को समुचित टीम के साथ प्रेषित करेगा।
- (5) उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक से प्राप्त समस्त दस्तावेजों एवं फॉरेंसिक तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ से प्राप्त निष्कर्षों के साथ आवेदक की सामाजिक प्रस्थिति के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत छानबीन समिति को प्रस्तुत करेगा।
- (6) छानबीन समिति ऐसे प्रतिवेदन का परीक्षण करेगी तथा यदि वह प्रतिवेदन में कोई कमी पाती है, तो पुनः ऐसी कमी को इंगित कर सतर्कता प्रकोष्ठ को प्रतिवेदन लौटा कर विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर जांच करने हेतु निर्देशित करेगी।
- (7) पुलिस निरीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक उपरोक्त उल्लिखित अनुसार प्रकरणों की जांच-पड़ताल का विवरण प्रारूप-5ज के अनुसार संधारित करेंगे।
21. सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन पर कार्यवाही.— (1) यदि सतर्कता प्रकोष्ठ को जांच प्रतिवेदन में आवेदक की सामाजिक प्रस्थिति संबंधी दावा न्यायसंगत और उचित प्रतिवेदित है, तो छानबीन समिति को उस पर किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी और वह तदनुसार संबंधित, यथास्थिति, सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन एवं आवेदक को अवगत करायेगी।
- (2) यदि प्रकरण राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो राज्य शासन के स्तर पर प्रकरण नस्तीबद्ध कर उसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी तथा यदि प्रकरण सत्यापन समिति के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो सत्यापन समिति नियम 17 में उपबंधित रीति में सत्यापन करने के उपरांत मूल एवं सत्यापित प्रमाणपत्र, यथास्थिति, आवेदक अथवा अनावेदक को प्रेषित करेगी।
22. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जांच.— (1) जहाँ छानबीन समिति, आवेदक के सामाजिक प्रस्थिति के दावे से सतर्कता प्रकोष्ठ के जांच प्रतिवेदन के अनुसार सतुष्ट नहीं है, तो समिति पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदक को विहित प्रारूप-6ख में सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के साथ कारण बताओ नोटिस देगी तथा ऐसे नोटिस की प्रतिलिपि अनावेदक को भी, (यदि कोई हो तो), दी जायेगी।
- (2) आवेदक का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, छानबीन समिति एक बैठक आहूत करेगी, जिसमें वह आवेदक को उसके मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगी तथा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा।
- (3) छानबीन समिति, सुनवाई से संबंधित अगम सूचना भी जारी करेगी, जिसका प्रचार प्रसार गांव में डोंडी पिटवाकर, ईशतहार या अन्य सुविधाजनक साधनों के माध्यम से किया जायेगा, ताकि कोई व्यक्ति या संस्था आवेदक के दावे का समर्थन या विरोध कर सके तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था को भी यदि कोई हो तो सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- (4) आवेदक को स्वयं या उसके अभिभावक को (नाबालिग आवेदक की स्थिति में) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, छानबीन समिति ऐसी जांच कर सकेगी, जिससे वह दावे तथा अन्य आपत्तियों पर विचार कर सके।

- (E) छानबीन समिति तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार को तारीखी हेतु नोटिस अथवा समंस भेजेगी, जो प्ररूप-6ग में निर्देशित रीति अनुसार नोटिस की तामिल करेगा।
23. छानबीन समिति का निर्णय एवं तत्पश्चात् कार्यवाही— (1) दावे पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों की सुनवाई के उपरांत, आवेदक के दावे की सत्यता के संबंध में छानबीन समिति की संतुष्टि होने पर वह सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, यदि ऐसा आवेदित है, तो संबंधित सत्यापन समिति को निर्देशित करेगी।
- (2) आवेदक के सामाजिक प्रारिधति प्रमाणपत्र के उसके दावे के संबंध में सुनवाई के पश्चात् यदि छानबीन समिति, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक का दावा वास्तविक नहीं है, तो वह कारण सहित आदेश पारित कर सकेगी तथा प्रमाणपत्र को निरस्त कर सकेगी।
- (3) छानबीन समिति उप-नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत शिकायत प्रस्तुत करने हेतु नियोजक, सैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के एक अधिकारी को प्राधिकृत करेगी तथा आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ ऐसे अधिकारी को अग्रेषित करेगी।
- (4) छानबीन समिति इस नियम के उप-नियम (2) के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय संबंधित कलेक्टर को जाँच करने हेतु यह निर्देशित करेगी, कि क्या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसा मिथ्या सामाजिक प्रारिधति प्रमाणपत्र जानबूझ कर जारी किया गया है अथवा इस बात की जानकारी रखते हुए जारी किया गया है कि ऐसा प्रमाणपत्र असत्य है अथवा क्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपराध का दुष्करण किया गया है तथा कलेक्टर 3 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।
- (5) छानबीन समिति मिथ्या सामाजिक प्रारिधति प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण का आदेश पारित करने के पश्चात् उसे समपहृत करेगी तथा उसका विवरण प्ररूप-5झ में विहित किये गये अनुसार पंजी में अंकित करेगी तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर "निरस्त एवं समपहृत" मुद्रित किया जायेगा।
- (6) छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ अनावेदक, यदि कोई हो, तथा आवेदक को पंजीकृत डाक के द्वारा ऐसे आदेश पारित होने के तत्काल उपरांत प्रेषित की जायेगी। यदि आवेदक अथवा कोई अन्य व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हो कर आदेश की प्रति की माँग करता है, तो उचित शुल्क के मुसतान पर उस व्यक्ति को प्रदान कर दी जायेगी।
24. मिथ्या प्रमाण पत्र धारक के विरुद्ध कार्यवाही— (1) यथास्थिति, लोक नियोजक, सैक्षणिक संस्थान अथवा संवैधानिक निकाय, राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन, का अधिकारी, जो छानबीन समिति के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, छानबीन समिति के द्वारा पारित निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति के आधार पर उक्त मिथ्या सामाजिक प्रारिधति प्रमाणपत्र धारक के विरुद्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधि. सं. 2) की धारा 154 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायेंगा।
25. मिथ्या सामाजिक प्रारिधति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं दुष्करक के विरुद्ध कार्यवाही— संधिधे: जिले का कलेक्टर मिथ्या सामाजिक प्रारिधति प्रमाणपत्र जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी एवं अपराध क दुष्करक के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज करायेंगा।

अध्याय-पाँच

विविध

26. प्रमाण पत्र तथा सत्यापन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी किए जाने हेतु प्रक्रिया- जहाँ आवेदक से संबंधित मूल प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र खो गया हो या चोरी हो गया हो या बाढ़, भूकंप इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गया हो, तो निवेदन पर राज्य शासन द्वारा यथा निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी अथवा सत्यापन समिति, ऐसे कार्यालय में रखे गये मूल दस्तावेजों के आधार पर उसकी द्वितीय प्रति जारी कर सकेंगे। ऐसे प्रमाणपत्र अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र पर "द्वितीय प्रति" का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
27. प्रमाण पत्र जारी करने, सत्यापित करने अथवा निरस्त करने की सूचना- (1) स. न प्राधिकारी, सत्यापन समिति तथा छानबीन समिति, यथास्थिति, प्रमाणपत्र जारी करने, सत्यापित करने अथवा निरस्त करने के संबंध में प्रत्येक माह की 5 तारीख के पूर्व कार्यालय के सूचना पटल पर जानकारी प्रदर्शित करेंगी तथा उसकी सूचना स्थानीय स्वायत्त संस्थानों एवं निकायों, नगर निगमों, नगर पालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि को उनके रिकार्ड के लिए तथा जिला सूचना केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु भी भेजेगी।
- (2) सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने तथा आवेदनों को निरस्त करने की जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप-7क में राज्य शासन को भी प्रेषित करेगी।
- (3) सत्यापन समिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन करने, आवेदनों के निरस्त करने, छानबीन समिति को प्रकरण को अर्पित करने की जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप-7ख में राज्य शासन को प्रेषित करेगी।
- (4) छानबीन समिति राज्य शासन तथा सत्यापन समितियों के द्वारा निर्दिष्ट शिकायतों पर जाँच एवं प्रमाणपत्र के निरस्तकरण संबंधी जानकारी प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक विहित प्ररूप-7ग में राज्य शासन को प्रेषित करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव,

प्ररूप 1क

[नियम 3 (1) देखिये]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी,
उपरखण्ड जिला

महोदय,

निवेदन है कि मुझे/मेरे पुत्र/मेरी पुत्री को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ पाने के क्रम में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है, अर्थात् :-

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | आवेदक का पूरा नाम | : | |
| 2 | आवेदक के पिता का नाम | : | |
| 3 | आवेदक की वैवाहिक स्थिति | : | विवाहित/अविवाहित |
| 4 | पति का नाम (महिला आवेदक के मामले में) | : | |
| 5 | आवेदक की जन्म तिथि | : | |
| 6 | जाति (केवल अनुसूचित जाति आवेदक के लिए) | : | |
| 7 | वर्तमान पूरा पता | : | मोहल्ला/वार्ड
ग्राम/कस्बा/शहर
वि.खं तहसील
जिला
राज्य |
| | स्थाई पता | : | मोहल्ला/वार्ड
ग्राम/कस्बा/शहर
वि.खं तहसील
जिला
राज्य |
| 9. | आवेदक की जन्म तिथि - | : | मोहल्ला/वार्ड |
| | (क) यदि अनु. जाति के लिए 10/08/1950
तथा अनु. जन जाति के लिए
06/09/1950 के पूर्व की है, | : | ग्राम/कस्बा/शहर |
| | (ख) यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
26/12/1984 के पूर्व की है; तब | : | वि.खं |
| | आवेदक का जन्म स्थान अथवा यदि इस तिथि के
बाद है | : | तहसील |
| | तो उसके पिता/पूर्वज के निवास स्थान का स्थाई
पता | : | जिला राज्य |

- 10 उल्लिखित तिथि को उपर्युक्त पते पर निवास करने वाले परिवार का मुखिया : नाम
- आवेदक के साथ संबंध
- 11 आवेदक/उसके पिता/पूर्वज 10/08/1950 (अनुजाति के सदस्य में) 08/09/1950 (अनु. जनजाति के सदस्य में) एवं 26/12/1984 (अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य में) से वर्तमान तिथि तक किन-किन स्थानों पर रहा/रहे है उसका विवरण :
- 12 आवेदक की जाति/जनजाति (उपजाति सहित) :
- 13 क्या मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के लिए यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 26/12/1984 के द्वारा वह राज्य/जिले के लिए विहित (निर्धारित) है? यदि हाँ, तो उसका सरल क्रमांक :
- 14 निम्नांकित अनिलेख की अभिप्रायित प्रति संलग्न करे : संलग्न अनिलेखों का विवरण
- (1) आवेदक के पिता/पूर्वजों का निम्नांकित अनिलेख जिसमें उनकी जाति उल्लिखित (अंकित) हो :-
- (क) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल); :
- (ख) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी की 1; :
- (ग) राज्य बंदोबस्त, अथवा :
- (घ) अधिकार अनिलेख (1954); अथवा :
- (ङ) वन विभाग की जमाबंद (सर्वे)/वन अधिकारपत्र; अथवा :
- (च) शैक्षणिक संस्था के दाखिल खारिज पंजी; अथवा :
- (छ) जन्म या मृत्यु पंजी; अथवा :
- (ज) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949); अथवा :
- (झ) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी को पूर्व में जारी लागू प्रमाण-पत्र की प्रति; अथवा :
- (ञ) जनसंख्या 1951; :
- (2) ऐसे मूल निवास प्रमाण-पत्र अथवा कोई अन्य प्रमाणित दस्तावेज जो सतक कि आवेदक के पूर्व 10/08/1950 (अनुजाति के सदस्य में) 08/09/1950 (अनुसूचित जनजाति के सदस्य में) या 26/12/1984 (अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य में) से वर्तमान तिथि तक किन-किन स्थानों पर रहा/रहे है उसका सरल क्रमांक :

- (3) पूर्वजों से प्रारंभ कर जाति प्रमाण-पत्र धारक : हों/नहीं
 एक पटवारी से प्रदत्त वंशावली।
- (4) आवेदक के पिता यदि राज्य सरकार के : हों/नहीं
 कर्मचारी हैं/थे तथा अनु.जा./अनु.ज.जा.
 /अ.पि.व.के संबंध में दिनांक 10/08/1950,
 06/09/1950, 26/12/1984 के पूर्व
 वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे
 और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें
 छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है/था, संबंधी
 दस्तावेज।
- (5) यदि आवेदक अ.पि.व. से संबंधित हो और : हों/नहीं
 उसके पिता/माता शासकीय कर्मचारी है तो
 उनके पद एवं आय के अभिलेख की पुष्टि एवं
 आय प्रमाण-पत्र अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष के
 फार्म 16 की प्रति
- (6) आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ : हों/नहीं
 लिफाफा जिसमें पर्याप्त डाक टिकट लगी हो
 । (प्रमाण-पत्र के मामले में डाक के माध्यम से
 वांछित है)
- (7) आवेदक का शपथ पत्र (प्रारूप 2 क के : हों/नहीं
 अनुसार)

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि आवेदन में दी गई जानकारी मेरे विश्वास अनुसार सत्य एवं सही है.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

प्ररूप 1 ख
[नियम 15 (1) देखिये]

कार्यालय

दिनांक

स.क.

प्रति,

अध्यक्ष,

जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति

जिला छत्तीसगढ़

विषय : श्री/श्रीमती/कु० आत्मज/आत्मजा/पति
..... निवासी की सामाजिक प्रारिथति
सत्यापन के संबंध में।

संदर्भ : सक्षम प्राधिकारी, जिला द्वारा जारी सामाजिक प्रारिथति प्रमाणपत्र
क्रमांक दिनांक

महोदय,

श्री/श्रीमती/कु० आत्मज/आत्मजा/पति
..... निवासी की, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक

प्रारिथति प्रमाणपत्र क्र. दिनांक के आधार पर इस
संस्थान/स्थानीय प्राधिकारी/विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य
पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित पदों/सीट के विरुद्ध नियुक्ति/प्रवेश/चयन किया गया था।

2. यह शिकायत प्राप्त होने पर कि, प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है,
एतद्वारा, निर्णय किया गया है कि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा उपरोक्त
प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाये।

3. श्री/श्रीमती/कु० के प्रमाणपत्र की मूल/सत्यापित प्रति संलग्न
है। कृपया विहित रीति एवं समय में उपरोक्त प्रमाण पत्र का सत्यापन करे तथा निष्कर्ष का
प्रतिवेदन इस कार्यालय को दे।

4. यदि समिति प्रथमदृष्ट्या यह पाती है कि उपरोक्त सामाजिक प्रारिथति प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक
या कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था, तो कृपया सूचित करें ताकि संबंधित आवेदक को
उसके दावे के समर्थन में आपके समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सामाजिक प्रारिथति प्रमाणपत्र की मूल/सत्यापित प्रति)

हस्ताक्षर

नाम एवं मोहर

प्ररूप-1ग
[नियम 16 (3 एवं 4) देखिये]

जिला स्तरीय सामाजिक प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष आवेदन पत्र

प्रति,

अध्यक्ष
जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति,
.....

विषय : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता पिता/पति का नाम

पद विभाग एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी

(आवेदक का नाम) पिता/पति का नाम का वर्तमान सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र

(मूल/छायाप्रति) सत्यापन हेतु सत्यापन समिति/अनावेदक (लोक नियोजक/शैक्षणिक

संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन) के दिशा-निर्देश अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं

श्री/श्रीमती/कुमारी के दावे की पुष्टि के लिए निम्नांकित दस्तावेज संलग्न

कर रहा हूँ :-

- 1 आवेदक का नाम एवं उपनाम :
- 2 आवेदक के पिता का नाम एवं उपनाम :
- 3 आवेदक के पिता के पिता (दादा) का नाम एवं उपनाम :
- 4 आवेदक की माता का नाम एवं उपनाम :
- 5 आवेदक की माता के पिता (नाना) का नाम एवं उपनाम :
- 6 आवेदक यदि महिला है, तो उसके पति का नाम एवं उपनाम :
- 7 आवेदक की जन्म तिथि :
- 8 निवास स्थान :- :

स. क.	निवास स्थान	मोहल्ला/ वाड कमांक	ग्राम/ कस्बा/ शहर	तहसील	जिला पूर्व राज्य	निवास करने की तिथि अथवा वर्ष
1	आवेदक का वर्तमान निवास स्थान					
2	आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य में निवास स्थान					
3	यदि आवेदक की जन्म तिथि 10/08/1950 (अनु जाति)/ 06/09/1950 (अनु जन जाति)/ 26/12/1984 (अनु पि० व०) को या उससे पूर्व की है, तो ऐसी तिथि पर आवेदक का स्थायी निवास स्थान					
	यदि आवेदक की जन्म तिथि 10/08/1950 (अनु जाति)/ 06/09/1950 (अनु जन जाति) / 26/12/1984 (अनु पि० व०) के बाद की है, तो ऐसी तिथि पर आवेदक के पिता/पूर्वज का स्थायी निवास स्थान					
4.	आवेदक के पिता का छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र में निवास स्थान					
5.	आवेदक के दादा का स्थायी निवास स्थान					

9.शैक्षणिक जानकारी :

स. क	आवेदक की शैक्षणिक जानकारी	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा का वर्ष				
2.	संस्थान का नाम				
3.	ग्राम/करवा/शहर				
4.	विकास खण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

स. क	आवेदक के पिता की शैक्षणिक जानकारी	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा का वर्ष				
2.	संस्थान का नाम				
3.	ग्राम/कस्बा/शहर				
4.	विकास खण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

स. क.	आवेदक की माता की शैक्षणिक जानकारी	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा का वर्ष				
2.	संस्थान का नाम				
3.	ग्राम/कस्बा/शहर				
4.	विकास खण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

स. क.	आवेदक के पिता के पिता की शैक्षणिक जानकारी	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	महाविद्यालयीन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शिक्षा का वर्ष				
2.	संस्थान का नाम				
3.	ग्राम/कस्बा/शहर				
4.	विकास खण्ड/तहसील				
5.	जिला/राज्य				

10 संपत्ति संबंधी जानकारी :

स. क.	अचल संपत्ति/कृषि भूमि/भवन/दुकान/अन्य	रकबा	प.ह.न.	रा.नि.म.	तहसील/जिला	संपत्ति कय/प्राप्त करने का वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आवेदक के पिता के नाम पर					
2.	आवेदक के दादा (पिता के पिता) के नाम पर					
3.	आवेदक के नाना (माता के पिता) के नाम पर					

11 जाति संबंधी जानकारी :

स. क.	संबन्धी	जति	उपजाति	गोत्र	गोत्र चिन्ह	वंश (लोटग)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आवेदक के पिता की					

2	आवेदक के नाना (माता के पिता) की					
3	आवेदक यदि महिला है तो उसके पति की					

12. व्यवसाय संबंधी जानकारी :

सं क्र	संबंधी	परम्परागत व्यवसाय	वर्तमान (कार्यरत) व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आवेदक का व्यवसाय		
2.	आवेदक के पिता का व्यवसाय		
3.	आवेदक के दादा (पिता के पिता) का व्यवसाय		
4.	आवेदक के नाना (माता के पिता) का व्यवसाय		
5.	आवेदक के पति/पत्नी का व्यवसाय		

13. आवेदक की मातृभाषा :
14. यदि आवेदक की जाति की अलग बोली है, तो बोली का नाम :
15. यदि आवेदक की जाति के कुल देवी/कुल देवता हैं, तो कुल देवी/कुल देवता का नाम :
16. आवेदक की जाति के प्रमुख देवी/देवता का नाम :
17. आवेदक की जाति के लोक नृत्यों का नाम :
18. आवेदक की जाति के लोक गीतों का नाम :
19. आवेदक की जाति के प्रमुख त्योहारों का नाम :
20. आवेदक की जाति में पिता की रहन के लड़के/लड़की के साथ क्या वैवाहिक संबंध होता है :
21. आवेदक की जाति में माता के भाई(मामा) के लड़के/लड़की के साथ क्या वैवाहिक संबंध होता है :
22. आवेदक की जाति में क्या वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है :
23. आवेदक की जाति में क्या दहेज प्रथा प्रचलित है :
24. आवेदक की जाति/गोत्र के साथ जिन जातियों/गोत्र का वैवाहिक संबंध होता है, उनके नाम :

- 25 आवेदक की जाति से जिन जातियों का रोटी (खान-पान) संबंध है, उन जातियों का नाम
- 26 आवेदक की जाति की समकक्ष जातियों का नाम
- 27 आवेदक का धर्म
- 28 आवेदक के पिता का धर्म

29. आवेदक के संबंधियों (रिश्तेदारों) का विवरण

स.क्र.	विवरण	पिता के भाई (चाचा)	माता के भाई (मामा)	भाता की बहन का पति (भांसा)	पिता की बहन का पति (फूफा)	पत्नी का पिता (ससुर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नाम					
2.	जाति					
3.	उपजाति					
4.	गोत्र					
5.	व्यवसाय					
6.	निवास के ग्राम/शहर					
7.	तहसील					
8.	जिला					

30. संलग्न दस्तावेज :

- (1) आवेदक के पिता/पूर्वजों का निम्नांकित अभिलेख जिसमें उनकी जाति अंकित हो :-
- क पूर्वजों के निस्सल अभिलेख (केस फाईल)
- ख जमाबंदी (सर्वे) गिरदावरी बी 1
- ग राज्य बंदोबस्त; अथवा
- घ अधिकार अभिलेख (1954); अथवा
- ङ वन विभाग की जमाबंद/वन अधिकारपत्र, अथवा
- च शैक्षणिक संस्था के दारिजल खारिज पंजी, अथवा
- छ जन्म या मृत्यु पंजी; अथवा
- ज नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949), अथवा

- अ पिता, पूर्वज अथवा सबंधी को पूर्व में जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति ; अथवा
- अ जनगणना 1931.
- 2 मूल निवास प्रमाण-पत्र अथवा अन्य कोई भी अभिलेख जिससे प्रमाणित हो सके कि आवेदक के पूर्वज दिनांक 10/08/1950 (अनु.जा.), 06/09/1950 (अनु.ज.जा.) अथवा 26/12/1954 (अ.पि.व.) के पूर्व से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के मूल निवासी थे।
- 3 पूर्वजों से प्रारंभ कर जाति प्रमाण-पत्र धारक तक पटवारी से प्रदत्त वंशावली।
- 4 आवेदक के पिता यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं/थे तथा अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के संबंध में दिनांक 10/08/1950, 06/09/1950, 26/12/1954 के पूर्व वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है/था, संबंधी दरतावेज।
- 5 यदि आवेदक अ.पि.व. से संबंधित है तथा उसके पिता/माता शासकीय कर्मचारी है तो उनके पद एवं आय की पुष्टि से संबंधित अभिलेख एवं आय प्रमाण-पत्र अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष के फार्म 16 की प्रति
- 6 आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें पर्याप्त डाक टिकट लगी हो. (प्रमाण-पत्र के मामले में डाक के माध्यम से वाछित है)
- 7 आवेदक का शपथ पत्र (प्रारूप 2 अ के अनुसार)

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ, कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गईं समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान :

दिनांक :

भददीप

(आवेदक क हस्ताक्षर)

प्ररूप 2 क
[नियम 3(3) (क) देखियें]

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा उम्र वर्ष, व्यक्तता
निवासी तहसील जिला
राज्य एतद्वारा शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती
हूँ कि :-

छायाचित्र
आवेदक के हस्ताक्षर

- मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप दो (क) के अधीन विहित अनुसार सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके समर्थन में यह शपथ पत्र एतद्वारा प्रस्तुत है।
- मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित प्ररूप अनुसार आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की नकल संलग्न की गई है। उक्त वर्णित दस्तावेज मेरे द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से विधि पूर्वक प्राप्त किये गये हैं तथा मेरे द्वारा या मेरे किसी शुभचिंतक द्वारा उक्त दस्तावेज या उसके मूल दस्तावेज में अनाधिकृत रूप से कोई संशोधन/विलोपन/परिवर्धन नहीं किया गया है तथा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी में उक्त दस्तावेज/दस्तावेजों को किसी विद्वेषपूर्ण आशय से गूढ़ा नहीं गया है।
- मेरे द्वारा जिन रिश्तेदारों के वैधता प्रमाणपत्र इस आवेदन के साथ संलग्न किया गया है उनके साथ संबंध दर्शाने वाले वंशवृक्ष संलग्न हैं।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र में प्रस्तुत आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है तथा उक्त जानकारी असत्य पाए जाने पर, मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/आत्मजा

सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 4 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो-हवास में सत्यापित करता/ करती हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

प्ररूप 2ख
{ नियम 15 (1) देखिये }

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामांकित, मनोनित व्यक्ति द्वारा शपथपत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आ/आत्मजा उम्र वर्ष
व्यवसाय निवासी तहसील जिला राज्य
निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ कि :

- (1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/लाम/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्यक्षीन की गई है।
- (3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी.....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रारिथति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रारिथति प्रमाण पत्र विहित अधिकारी तथा विहित प्रक्रिया से जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के कम में मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।
- (5) उक्त वर्णित प्रमाण पत्र के रूबय में, कि प्रमाणपत्र कपट पूर्वक अथवा गलत तरीके से प्राप्त करने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में तथा यदि उक्त आधार पर या अन्यथा, स्वप्रेरणा से जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रारिथति के संबंध में कोई जाँच करती है अथवा जाँच हेतु सामाजिक प्रारिथति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रारिथति के संबंध में की गई जाँच उपरान्त एवं पारित निर्णय एवं आदेश कि प्रमाण पत्र गलत तरीके अथवा कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है, यथास्थिति, मेरी नियुक्ति/प्रवेश/चुनाव/चयन/प्रदत्त लाम/सुविधा अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्थान/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केंद्र शासन)..... तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अवर्जित की जा सकेगी, तथा मैं ऐसी नियुक्ति/प्रवेश/चुनाव/चयन/प्रदत्त लाम/सुविधा के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन रहूंगा तथा उक्त राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल की जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मैं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रारिथति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की कंडिका 8 से 13 में विहित कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी रहूंगा।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/आत्मजा
सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशों हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

प्ररूप 2ग
[नियम 16(3 और 4) देखिये]

जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु शपथ पत्र

मैं, आत्मज / आत्मजा / पति
 उम्र वर्ष व्यवसाय निवासी ग्राम
 तहसील जिला राज्य एतद्वारा शपथपूर्वक
 कथन करता हूँ कि :

छायाचित्र

आवेदक के हस्ताक्षर

- 1 मेरे द्वारा जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु विहित प्ररूप में आवेदन किया गया है तथा मेरे दावे के समर्थन में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।
- 2 मेरे द्वारा जिला स्तरीय सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु विहित प्ररूप के अनुसार मेरे आवेदन पत्र के साथ नियम 3 के उपनियम (3) द्वारा यचित दस्तावेजों की नकल संलग्न की गई है। उक्त दस्तावेज मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी/प्राधिकारियों से विधिपूर्वक प्राप्त किए गए हैं तथा मेरे द्वारा या मेरे किसी इमदितक द्वारा इनमें कोई सशोधन/परिवर्तन/शुद्धि नहीं की गई है, तथा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में ऐसे दस्तावेज/दस्तावेजों में कोई कूटरचना नहीं की गई है।
- 3 मेरे द्वारा जिन रिश्तेदारों का वैध जाति प्रमाणपत्र इस आवेदन के साथ संलग्न किया गया है, उनके साथ संबंध दर्शाने वाला वंशवृक्ष संलग्न है।
- 4 मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ, कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष विहित प्ररूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है, तथा उक्त जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, आशु / आत्मजा / पति सत्यापित करता हूँ कि
 इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 4 की विषयवस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं, जिसे मैं आज दिनांक को छत्तीसगढ़ में सत्यापित एवं हस्ताक्षरित करता हूँ।

हस्ताक्षर

प्ररूप 3 क
(नियम 5 देखिये)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय
मंडल.....जिला.....छत्तीसगढ़

आवेक क्रमांक.....

दिनांक

आवेदन पत्र की अभिस्वीकृति (पावती)

(इस ज्ञापन की मूल प्रति आवेदक को प्रदत्त की जावे तथा उसका प्रतिपण कार्यालय में संभारित किया जावे)

आज दिनांकको श्री/श्रीमती/कुमारी
आओ/आत्मजा/पत्नी उम्र वर्ष, व्यवसाय निवासी
तहसील जिला राज्य से सामाजिक प्रारिथति
प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज
मूल/अभिप्रमाणित प्रति में प्राप्त हुए हैं :-

- (1) आवेदक अथवा आवेदक के पिता/पूर्वजों का निम्नांकित दस्तावेज, जिसमें उसकी जाति अंकित है
 - (एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल) ;
 - (दो) जमाबंदी (सर्वेक्षण) गिरदावरी,
 - (तीन) राजस्व बंदोबस्त,
 - (चार) अधिकार अभिलेख (1954),
 - (पांच) जनगणना (1931),
 - (छ) वन विभाग की जमाबंदी,
 - (सात) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949),
 - (आठ) जन्म या मृत्यु की पंजी,
 - (नौ) पिता अथवा पूर्वज के शिक्षित होने की स्थिति में, प्रवेश (दाखिल/खारिज) पंजी
 - (दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण प्रमाण-पत्र की प्रति
 - (ग्यारह) अन्य दस्तावेज जिससे आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति होना प्रमाणित होता है
 - (बारह)
- (2) ऐसे दस्तावेज अर्थात् दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अथवा प्रतिलिपियाँ जिससे यह प्रमाणित हो सकें के आवेदक के पूर्वज राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिसूचना तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवास करते थे।
- (3) पूर्वजों से प्राप्त कर आवेदक तक मटवारी से प्रदत्त वंशावली।
- (4) आवेदक अथवा उसके पिता अथवा उसके वैध पालक का शपथ पत्र प्ररूप 2क के अनुसार (मूल प्रति में)।
- (5) दस्तावेज जिनसे दशित हो कि आवेदक के पिता राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हैं तथा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अधिसूचना तिथि को अथवा उसके पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है।
- (6) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदक के पिता का आय प्रमाण-पत्र अथवा पूर्व वित्तीय वर्ष के फार्म 16 की अभिप्रमाणित प्रति।
- (7) आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें यथेष्ट डाक टिकट लगी हो।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्ररूप 3 ख

[नियम 6(2)]

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय

आवेदन पत्र के वापसी का ज्ञापन (वापसी ज्ञापन)

(इस ज्ञापन की मूल प्रति आवेदक को प्रदत्त की जावे तथा उसका प्रतिपुर्ण कार्यालय में संधारित किया जावे)

क्रमांक

दिनांक

श्री/श्रीमती/कुमारी आताज/आत्मजा
 निवासी द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में निम्नांकित अभिलेखों के अभाव है। अतः आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित अभिलेख जिनमें सही () का निशान अंकित किया गया है आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर उसके सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी:-

(1) आवेदक अथवा आवेदक के पिता/पूर्वजों का निम्नांकित दस्तावेज, जिसमें उसकी जाति अंकित है

- (एक) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल);
 (दो) जमावती (स्विसण) गिरदावरी;
 (तीन) राज् बंदोजस्ता;
 (चार) अधिकार अभिलेख (1954);
 (पांच) जनगणना (1931);
 (छः) रज नामा को जमावती;
 (सात) नामाओं का राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);
 (आठ) जन्म या मृत्यु की पंजी;
 (नौ) पिता अथवा पूर्वज के शिक्षित होन की स्थिति में, प्रवेश (दखिल/एनरिज) पंजी;
 (दस) पिता, पूर्वज अथवा संबंधी (नातेदार) को पूर्व में जारी जाति प्रमाण प्रमाण-पत्र की प्रति
 (ग्यारह) अन्य दस्तावेज जिससे आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति होना प्रमाणित होता है
 (बारह)

- (2) ऐसे दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की सम्यक रूप से अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अथवा प्रतिलिपियाँ जिससे यह प्रमाणित हो सके के आवेदक के पूर्वज राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिसूचना तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवास करते थे।
 (3) पूर्वजों से प्रारंभ कर आवेदक तक घटवारी से प्रदत्त वंशावली।
 (4) आवेदक अथवा उसके पिता अथवा उसके वैध पालक का शपथ पत्र प्ररूप 2क के अनुसार (मूल प्रति में)।
 (5) दस्तावेज जिनसे दर्शात हो कि आवेदक के पिता राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हैं तथा राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अधिसूचना तिथि को अथवा उसके पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी थे और राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है।
 (6) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदक के पिता का पूर्व वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र अथवा फार्म 16 की अभिप्रमाणित प्रति।
 (7) आवेदक का पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें यथेष्ट डाक टिकट लगी हो।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 3 ग
[नियम 6 देखिये]

असमर्थता झापन
(यह प्ररूप 2ख के पृष्ठ भाग में मुद्रित किया जावे)

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी
उपखण्ड जिला

छायाचित्र

विषय : अनुसूचित जनजाति के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने में असमर्थता बायत।

महोदय, मैं (आवेदक का नाम) आत्मज/आत्मजा पद निवासी शपथपूर्व कथन

आवेदक के हस्ताक्षर

करता/करती हूँ कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु दिनांक को आवेदन किया/की है, जिसकी पावती कमांक है परंतु मैं अपनी जाति के दावे की पुष्टि में वांछित साक्ष्य अभिलेख जिनका कि उल्लेख नियम 3 के उप-नियम (3) में किया गया है, उपलब्ध कराने में मैं असमर्थ हूँ क्योंकि :

- (1) मेरे पिता अथवा पूर्वजों अथवा पिता के रक्त संबंधियों में से कोई भी शिक्षित नहीं है/नहीं था;
- (2) मेरे पिता अथवा पूर्वजों अथवा पिता के रक्त संबंधियों में से किसी के भी पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है/थी तथा अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है;
- (3) नियम 3 में दर्शित वांछित लोक अभिलेखों में से किसी में भी मेरे पिता अथवा पूर्वजों के संबंध में कोई उल्लेख/प्रतिष्ठा नहीं है;
- (4) मेरे पास ऐसा कोई भी अन्य अभिलेख नहीं है जो मैं साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कर सकूँ,

अतः मेरा निवेदन है कि मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर नियम 8 के अधीन जाँच करवा कर मुझे सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें। मैं जाँच प्राधिकारी को जाँच के समय उनके द्वारा वांछित जानकारी प्रदान करूंगा तथा उनके द्वारा नियत तिथि को स्वयं उपस्थित रहूंगा तथा जाँच हेतु अपने पक्ष के समर्थन में वांछित व्यक्तियों को उपस्थित कराने हेतु पूरा सहयोग प्रदान करूंगा।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/आत्मजा सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त झापन की कण्डिका 1 से 4 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम